न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 11/2021
दायर दिनांक : 13.01.2021
आदेश दिनांक : 23.07.2024

छीतरमल पुत्र हजारी जाट, उम्र व्यस्क निवासी कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द

— प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, कुंवारिया

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 एवार्ड अधिसूचना क्रमांक 3014 (अ) दिनांक 04.10.2013

उपस्थित :—

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता — प्रार्थी
श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम कुंवारिया, तहसील राजसमंद की आराजी संख्या 2820 रकबा 0.2406 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 300 रूपये प्रति वर्गमीटर से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 295697/— रूपये ही तय किया गया है जो कि 122.9 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 0.2406 हेक्टेयर अवाप्त की गई है, उस पर 300/— रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थी की 0.2406 हेक्टेयर अवाप्त होने पर भूमि का मुआवजा 295697/— रूपये तय किया गया है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा 300 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से देय होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर

लेकिन प्रार्थी को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर देरी से अदा किया गया है। मुआवजा केवल मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थी की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है लेकिन मुआवजा मात्र 295697/– रूपये ही तय किया गया। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 300 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्राप्त करने की अधिकारी है। बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है जबकि यह भूमि प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा है। प्रार्थी ने मुआवजा अदा करने के लिये दिनांक 10.05.2019 को प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने के बाबत निवेदन किया उसके बाद मुआवजा का एवार्ड कम जारी किया गया। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये हैं। वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागु किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थी की कुल अवाप्तशुदा भूमि 300 वर्गफीट में प्रार्थीया को मुआवजा 295697/– रूपये ही अदा किया गया है जो दिनांक 01.01.2015 तक न तो अदा किया गया है न ही जमा करवाया गया है। जबकि उक्त मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय नहीं किया गया। अतः बाजार दर की तीन गुना राशि तथा इस पर दिनांक 04.10.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि प्रार्थी प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित अनुसार मुआवजा निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 की और से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक आपत्ति के साथ जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ति और जवाब उल जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर विपक्षी संख्या 02 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ग्राम कुंवारिया, में स्थित आराजी संख्या 2820 रकबा 0.2406 हेक्टेयर, की अवाप्ति में अवाप्त की गई भूमि के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी0एल0सी0 दर बाबत् उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर विवादित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादग्रस्त आराजी संख्या 2820 रकबा 0.2406 हेक्टेयर, की भूमि किस श्रेणी में आती है। प्रार्थी की और से अवाप्त भूमि के संबंध में आबादी एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के स्वामित्व बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेज या पट्टा प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया जबकि धारा 03 (जी) (7) (ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The Market value of the land on the date of publication of the notification u/s 3 (A) ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन 3 (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है। उसी का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने की अधिकारीता रखता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कारण प्रार्थना पत्र कब पैदा हुआ उसके बारे में कहीं भी कोई तथ्य दर्ज नहीं किया हैं। भूमि अवाप्ति जिसमें कि संबंधित अवाप्ति अधिकारी ने आराजी संख्या 2820 रकबा 0.2406 हेक्टेयर, की भूमि की अवाप्ति की जो कार्यवाही की है उस बाबत् भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड कब जारी किया गया उसका भी प्रार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत किया है, यानि की भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की दिनांक से नियत समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बेरून मयाद है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होनें के लिए दफा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी को अवार्ड की जानकारी कब हुई ? इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मयाद के बाहर होने से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आम सूचना प्रकाशित किये जाने के नियत समयावधि के भीतर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही प्रार्थी की और से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय पत्रावली पर प्रस्तुत किया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि प्रार्थी की और से निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो। जबकि

न्यायालय जिला कलक्टर

नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (सी) में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि Sec 03 C - Hearing of Objections: [1]- Any Person interested in the land may, within twenty one days from the date of publication of the notification under sub-section [1] of Section 3A, object to the use of land for the purpose mentioned in that sub-section. उक्तानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 सी के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से एंव प्रार्थी की और से निर्धारित अवधि में आपत्तिया सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी आप अदालत को मुगालते में रखते हुए अब न तो कोई बढ़ी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि। प्रार्थी अपनी भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर से प्राप्त करना चाहता है जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार डी0एल0सी0 दर के हिसाब से अवार्ड जारी किया है जो निर्धारित डी0एल0सी0 दर से भुगतान करने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा अपनी अवाप्त भूमि किस किस्म की है उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है एवं पडौस की भूमि की अवार्ड के आधार पर अवार्ड जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी अवाप्त भूमि की किस्म के आधार पर अवार्ड जारी किया जाता है। भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 0.000 कि.मी. से 87.250 कि.मी. राजसमन्द–भीलवाडा खण्ड तक के भू–खण्ड के निर्माण राजमार्ग चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि हेतु अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए हितधारको की भूमि को राजमार्ग निर्माण के लिए वैधानिक कार्यवाही का निष्पादन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अधीन किया गया है जिसके तहत आमजन को राजमार्ग पर आवागमन को सुगम बनाने एवं समय बचत करने के लिए बनाया गया है जिसका लाभ समाज का प्रत्येक नागरीक सुचारु रुप से प्राप्त कर रहा है। विपक्षी द्वारा विधिवत रूप से कार्यवाही की गई है। राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 0.000 कि.मी. से 87.250 कि.मी. राजसमन्द भीलवाड़ा खण्ड के भू–खण्ड के निर्माण राजमार्ग चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि हेतु अनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए हितधारको की भूमि को राजमार्ग निर्माण हेतु नियमानुसार अवाप्त किया गया जिसे नियमानुसार सभी विवादों से मुक्त होकर पूर्णरुप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अवाप्त की गई जो पूर्णतया वैधानिक होकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (3) के तहत आपत्तियों करने के उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच रिपोर्ट अनुसार तत्समय प्रचलित दरों के माध्यम से खातेदार/हितधारी की अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। किस कानून के तहत उक्त अवार्ड राशि पर भूमि का कब्जा प्राप्त करने की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि का जो मुआवजा तैयार किया वह विधि अनुसार निर्धारित किया है जिसका अंकन पूर्व में किया जा चुका है मौके की स्थिती एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण ज्ञात नहीं आया है जिससे प्रार्थी की उक्त कलम में दर्ज कथन को स्वीकार किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 03 (क) की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी0एल0सी0 दर देय होगी। उक्त प्रकरण में

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिनियम की धारा 3 (जी) (3) के तहत आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्राप्त राजस्व अभिलेख एंव मौके की जांच रिपोर्ट एंव तत्समय प्रचलित दर अनुसार अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड प्रार्थी को जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया है कि A declaration made by the Central Government under sub & section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority, अतः कानूनन प्रार्थी अब वेग आधारों पर जो न्यायिक सिद्वान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर लागु होने का अंकन करके आया है वह विधि अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होने से खारिज होने योग्य है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01–01–2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचाराधीन प्रकरण पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act- 2013) प्रकरण पर अक्षरशः लागु नहीं होता है। तोषण की राशि रा0रा0 अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत वर्जित है। जारी की गई अवाप्ति सुचनाओं के संबंध में प्रभावी दिनांक को लेकर कोई तथ्य सुसंगत रुप से स्पष्ट किया जाना है जिसका अनुसरण इस स्तर पर आप श्रीमान अदालत द्वारा किया जाना क्षेत्राधिकारीता से परे होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जिला कमेटी द्वारा डीएलसी दर निर्धारित कर जारी की गई जो सभी भूमि धारको को दी गई उसी दर से प्रार्थी की अवाप्त भूमि का अवार्ड जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी अवाप्त भूमि किस किस्म की है उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है एवं पडौस की भूमि की अवार्ड के आधार पर अवार्ड जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी अवाप्त भूमि की किस्म के आधार पर अवार्ड जारी किया जाता है। प्रार्थी न ही किसी तोषण राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है न ही किसी प्रकार से कोई अन्य राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का क्लेम प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण निरस्त किये जाने का आदेश न्याय हित में बक्षाया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस सुनाई गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कांकरोली भीलवाडा नेशनल हाईवे संख्या 758 फोरलेन हेतु अधिसूचना संख्या 3014 से प्रार्थी की भुमि को अवाप्त किया है। लेकिन प्रार्थी को मुआवजा राशि रिप्लेक्टर एक्ट 2013 के प्रावधानो के तहत प्रदान नहीं किया है। रिप्लेक्टर एक्ट 2013 नेशनल हाईवे की अवाप्त शुदा भुमि हेतु दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुका है तथा हितबद्ध व्यक्ति/भुमिधारी को दिनांक 01.01.2015 से पूर्व मुआवजा अदा नहीं किया गया है या उनके खाते में राशि जमा नहीं हुई है वह सभी रिप्लेक्टर एक्ट 2013 के प्रावधानो के तहत मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के प्रकरण में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड राशि भुगतान व हितबद्ध खातेदार/व्यक्ति के खाते में जमा नहीं होने से यह प्रावधान लागु किया चुका है। इसलिए RFCTLARR ACT 2013 के

न्यायालय जिला कलक्टर

अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। मानसिंह के मामले की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा भी की जा चुकी है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम मानसिंह स्पेशल रिट अपील संख्या 138 सन् 2020 को दिनांक 20.01.2023 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है तथा इस प्रकरण को भारत संघ बनाम महावीर डी बी स्पेशनल अपील रिट संख्या 936/2022 दिनांक 09.12.2022 के अनुसरण में निस्तारित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दीपसिंह बनाम भारत संघ एस बी सिविल रिट मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 190/2021 के मामले में दिनांक 28.07.2022 को यह निर्देश जारी किये गये है कि हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार के खाते में यदि दिनांक 01.01.2015 से पूर्व राशि जमा नहीं हुई है तो वह रिप्लेक्टर एक्ट 2013 के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम महावीर वगैरा एस एल पी संख्या 24134/2023 को दिनांक 21.07.2023 को अस्वीकार करते हुऐ माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय की खण्डपीठ के आदेश की पुष्टि की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी भारत संघ बनाम तसमेसिंह के प्रकरण में भी नेशनल हाईवे अधिनियम 3 जे को अल्ट्रावाईस घोषित करते हुऐ सोल्यूशन राशि एवं ब्याज दिलाये जाने के आदेश पारित किये है। अतः प्रार्थना है कि मुआवजा राशि रिप्लेक्टर एक्ट 2013 के अनुसार दिलाये जाने का आदेश फरमाय जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ग्राम कुंवारिया, में स्थित आराजी संख्या 2820 रकबा 0.2406 हेक्टेयर, की अवाप्ति में अवाप्त की गई भूमि के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी0एल0सी0 दर बाबत् उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर विवादित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादग्रस्त आराजी नम्बर आराजी संख्या 2820 रकबा 0.2406 हेक्टेयर, की भूमि किस श्रेणी में आती है। प्रार्थी की और से अवाप्त भूमि के संबंध में आबादी एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के स्वामित्व बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेज या पट्टा प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया जबकि धारा 03 (जी) (7) (ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The Market value of the land on the date of publication of the notification u/s 3 (A) ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन 3 (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है. उसी का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने की अधिकारीता रखती है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कारण प्रार्थना पत्र कब पैदा हुआ उसके बारे में कहीं भी कोई तथ्य दर्ज नहीं किया हैं। भूमि अवाप्ति जिसमें कि संबंधित अवाप्ति अधिकारी ने आराजी संख्या 2820 रकबा 0.2406 हेक्टेयर, की भूमि की अवाप्ति की जो

न्यायालय जिला कलक्टर

कार्यवाही की है उस बाबत् भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड कब जारी किया गया उसका भी प्रार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत किया है, यानि की भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की दिनांक से नियत समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बेरून मयाद है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होनें के लिए दफा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी को अवार्ड की जानकारी कब हुई ? इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मयाद के बाहर होने से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आम सूचना प्रकाशित किये जाने के नियत समयावधि के भीतर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही प्रार्थी की और से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय पत्रावली पर प्रस्तुत किया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि प्रार्थी की और से निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो। जबकि नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (सी) में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि Sec 03 C - Hearing of Objections: [1]- Any Person interested in the land may, within twenty one days from the date of publication of the notification under sub-section [1] of Section 3A, object to the use of land for the purpose mentioned in that sub-section. उक्तानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 सी के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से एंव प्रार्थी की और से निर्धारित अवधि में आपत्तिया सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी आप अदालत को मुगालते में रखते हुए अब न तो कोई बढ़ी हुई मुआवजा राशि पाने का अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि। प्रार्थी अपनी भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर से प्राप्त करना चाहता है जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार डी0एल0सी0 दर के हिसाब से अवार्ड जारी किया है जो निर्धारित डी0एल0सी0 दर से भुगतान करने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा अपनी अवाप्त भूमि किस किस्म की है उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है एवं पडौस की भूमि की अवार्ड के आधार पर अवार्ड जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी अवाप्त भूमि की किस्म के आधार पर अवार्ड जारी किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया है कि A declaration made by the Central Government under sub & section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority. अतः कानूनन प्रार्थी अब वेग आधारों पर जो न्यायिक सिद्वान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर लागु होने का अंकन करके आया है वह विधि अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होने से खारिज होने योग्य है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01–01–2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचाराधीन प्रकरण पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act- 2013) प्रकरण पर अक्षरशः लागु नहीं होता है। तोषण की राशि रा0रा0 अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत वर्जित है। जारी की गई अवाप्ति सुचनाओं के संबंध में प्रभावी दिनांक को लेकर

न्यायालय जिला कलक्टर

कोई तथ्य सुसंगत रुप से स्पष्ट किया जाना है या कोई भी पक्षकार स्वयं को पीडित महशुस करता है, तो उसके लिए आर्टिकल 226, 227 के तहत शक्तियां केवल मात्र माननीय उच्च न्यायालय में निहित है, जारी की गई अवाप्ति सुचनाओं के संबंध में प्रभावी दिनांक को लेकर कोई तथ्य सुसंगत रुप से स्पष्ट किया जाना है जिसका अनुसरण इस स्तर पर आप श्रीमान अदालत द्वारा किया जाना क्षेत्राधिकारीता से परे होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 03 ने नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। प्रार्थी को हस्तगत उक्त प्रार्थना पत्र की जानकारी होते हुये भी विलम्ब से प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाये जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा डी0एल0सी0 दर से निर्धारित करते हुए नियमानुसार भुगतान जारी करना प्रमाणित पाया गया। प्रकरणाधीन भूमि के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र/बहस कथन में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य, सबूत या दस्तावेज पेश नही किये। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। आदेश की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की अवार्ड पत्रावली प्रेषित हों।

Bull

(डॉ0 भंवर लाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Bull

(डॉ0 भंवर लाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)